संख्या-576/2025/2494/22-2-2023-17(885)/2023

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 19 जून, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार-2 जिला कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हेमराज पुत्र श्री बाबूराम, निवासी जनपद-बरेली की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-16636/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-01.05.2023) दिनांक-19.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार-2 जिला कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हेमराज पुत्र श्री बाबूराम, महोवा, थाना-अलीगंज, जनपद-बरेली का निवासी है। वादी रामभरोसे की पुत्री श्यामकली का विवाह बंदी हेमराज से हुआ था। लड़के का जन्म होने पर उसे देखने के बाद बच्चे की शक्ल बंदी से न मिलने तथा किसी और का होने के शक के कारण बंदी ने दिनांक 04-12-2007 को तमन्चे से गोली मारकर पत्नी श्याम कली की हत्या कर दी, उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-884/2008, 885/2008 में भा0द0वि0 की धारा-302 व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय कोर्ट सं0-02, बरेली के आदेश दिनांक 04.08.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है, बंदी द्वारा दिनांक 10.03.2023 तक 15 वर्ष 03 माह 05 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट बरेली द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नही किये जाने, पुन: अपराध करने में सशक्त होने, रिहा करने पर अपराध करने व समाज में भय व आंतक का माहौल पैदा करने की आख्या अंकित करते हुये बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी हेमराज ने लड़के का जन्म होने पर उसे देखने के बाद बच्चे की शक्ल बंदी से न मिलने तथा किसी और का होने के शक के कारण दिनांक 04-12-2007 को तमन्चे से गोली मारकर पत्नी श्याम कली की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी हेमराज पुत्र श्री बाबूराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार-2 जिला कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हेमराज (बन्दी संख्या-637/2010) पुत्र श्री बाबूराम, निवासी जनपद-बरेली को फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-576/2025/2494(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बरेली।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार-2 जिला कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-576/2025/2494/22-2-2023-17(885)/2023

दिनांक 19 जून, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार-2 जिला कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हेमराज पुत्र श्री बाबूराम, महोवा, थाना-अलीगंज, जनपद-बरेली का निवासी है। वादी रामभरोसे की पुत्री श्यामकली का विवाह बंदी हेमराज से हुआ था। लड़के का जन्म होने पर उसे देखने के बाद बच्चे की शक्ल बंदी से न मिलने तथा किसी और का होने के शक के कारण बंदी ने दिनांक 04-12-2007 को तमन्चे से गोली मारकर पत्नी श्याम कली की हत्या कर दी, उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-884/2008, 885/2008 में भा0द0वि0 की धारा-302 व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय कोर्ट सं0-02, बरेली के आदेश दिनांक 04.08.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है, बंदी द्वारा दिनांक 10.03.2023 तक 15 वर्ष 03 माह 05 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट बरेली द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नही किये जाने, पुन: अपराध करने में सशक्त होने, रिहा करने पर अपराध करने व समाज में भय व आंतक का माहौल पैदा करने की आख्या अंकित करते हुये बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी हेमराज ने लड़के का जन्म होने पर उसे देखने के बाद बच्चे की शक्ल बंदी से न मिलने तथा किसी और का होने के शक के कारण दिनांक 04-12-2007 को तमन्चे से गोली मारकर पत्नी श्याम कली की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी हेमराज पुत्र श्री बाबूराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।